फर्द अहकाम

(नियम 26)

# अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

## रामचन्द्र आदि बनाम सुमन आदि

किस्म मुकदमा : 151 सीपीसी

प्रकरण संख्या 24 / 2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ |
|---|---|---|
| 8/10/24 | यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये वकील अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई । प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है ।<br><br>अत : संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय का अन्तरिम स्थगन जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश करने तक रोही मौजा 2 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 56/53 के प0न0 356/368 के किला न0 21 के मिन दक्षिण की 0.018 हैक्ट व किला न0 22 के मिन दक्षिण की 0.018 हैक्ट भूमि में यदि रास्ता आदिनांक चालू हो तो **अप्रार्थीगण** आवागमन में कोई बाधा पैदा न करें । पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10/10/24 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>नोहर | |
| 10/10/24 | वकील साहब उपस्थित गैरसायल के नोटिस पेश नहीं किये अत: आवश्यक तौर से रजिस्टर सम्मन पेश कर पत्रावली दिनांक 16/10/24 को पेश हो। | |
| 16/10/24 | वकील साहब कारिन्दा [illegible] प्रार्थनापत्र से सम्बंधित [illegible] निस्तारण होने के [illegible] पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>नोहर | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:54:49 IST
Reason: SelfAttested